जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति, छात्रावास अधीक्षक (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2025

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल दिनांक ....

क्रमांक/एफ-04-89/2018/1/25,भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा,मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 235 दिनांक 14 मई 2008 द्वारा पूर्व में जारी "मध्यप्रदेश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास संविदा अधीक्षक को संविदा आधार पर भर्ती नियम 2008" को निरस्त करते हुए, "छात्रावास अधीक्षक" संवर्ग से सम्बंधित निम्नलिखित सेवा एवं भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम **“**मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक (सेवा एवं भर्ती) नियम 2025” होगा ।

ii. ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से प्रवृत्त होगे।

2- परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अनुसूची-एक के कॉलम क्रमांक-6 में उल्लेखित ''नियुक्ति प्राधिकारी'';

(ख) “शासन” से अभिप्रेत है,मध्यप्रदेश शासन;

(ग) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है,मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(घ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(ङ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जनजाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है;

(छ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-XXV-4-84 दिनांक 26/12/1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ज) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश दिनांक 02/07/2019 एवं दिनांक 18/07/2019 द्वारा अथवा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार यथाविनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

(झ) "विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग;

(ञ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग;

(ट) ''छात्रावास अधीक्षक'' से अभिप्रेत है, छात्रावास/आश्रम अधीक्षक;

(ठ) ''छात्रावास/आश्रम'' से अभिप्रेत है, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं म.प्र.शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित एवं पृथक से संचालित बालक/बालिका छात्रावास एवं आश्रम;

(ड) आवासीय शैक्षणिक संस्थाएं- कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श आवासीय विद्यालय, सी एमराइज़ विद्यालय, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय एवं आश्रम शालाएं;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(ण) ''विभागीय पदोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

(त) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति;

(थ) ''परीक्षा अभिकरण'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा या विभागीय परीक्षा के संचालन के लिये शासन द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत अभिकरण;

(द) "आयोग" से अभिप्रेत है,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ध) ''छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा'' से अभिप्रेत है छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली "छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा";

(न) "चयन परीक्षा" से अभिप्रेत है कि इन नियमों के तहत “छात्रावास अधीक्षक” की सीधी भर्ती के पदों पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के उपरांत चयन हेतु आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा;

3- विस्तार तथा लागू होना -मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4- भर्ती का तरीका:-

(अ) सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम/निर्देश अनुसार की जायेगी ।

(ब) छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाएगी, अर्थात्:-

(क) सीधी भर्ती अंतर्गत पात्रता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत आयोजित चयन परीक्षा द्वारा।

(ख) पदोन्नति द्वारा ।

5- सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया:-

(अ) सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम/निर्देश अनुसार की जायेगी।

(ब) छात्रावास अधीक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(i) शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ii) पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में यथा स्थान विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, छात्रावास अधीक्षक चयन परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होंगे।

(iv) पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र माना जाएगा:-

क्रमांक	परीक्षा	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग/ EWS वर्ग हेतु न्यूनतम अंकों का प्रतिशत	अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम अंकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पात्रता परीक्षा	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
2	चयन परीक्षा	40 प्रतिशत	50 प्रतिशत

MPPLR

(V) चयन परीक्षा में उपरोक्तानुसार प्राप्तांक के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(VI) पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन तथा चयन परीक्षा की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी ।

6- वर्गीकरण, **वेतनमान आदि-** पदों का वर्गीकरण, वेतनमान, उससे संलग्न पे-बैण्ड तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी, परंतु शासन द्वारा समय-समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

7- पदों पर नियुक्ति- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी संवर्ग में उद्भूत रिक्तियों पर सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-4 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी।

8- **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें -**

इन नियमों में सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

(1) शैक्षणिक अर्हताएं-

शैक्षणिक अर्हताएं अनुसूची तीन के कॉलम क्रमांक (5) अनुसार होनी चाहिये।

(2) आयु-

(क) अभ्यर्थी द्वारा नवीन चयन प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित तिथि को अनुसूची-तीन कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला एवं दिव्यांग (नि:शक्त) वर्ग का हो तो विहित अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार प्राप्त होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी हैं, या रह चुके हैं । अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक हो, को अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी,

परन्तु उपरोक्त सभी के परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु, अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण–शब्द "भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छ: माह तक निरन्तर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई हो अथवा जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया हो:-

I. ऐसे भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक, जिन्हें कि समय से पूर्व निवृत्त्ि‍ा रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ।

II. ऐसे भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें–

(अ) अल्पकालीन वचन बंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ब) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

III. मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

IV. ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक),जिसमें अल्प अवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किया गया हो;

V. ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया हो;

VI. असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक;

VII. ऐसे भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं;

VIII. ऐसे भूतपूर्व सैनिक एवं अग्निवीर सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

(ड) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

(च) विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

(छ) उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे ।

9- पदोन्नति-

(एक) इस सेवा के सदस्यों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची-चार में वर्णित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जाएगी। समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

(दो) ऐसे पदों पर जिन पर अनुसूची-दो में यथा- विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जाना है । पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियम अनुदेश के अनुसार होगी।

10- निरर्हताएं-

I. किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को,शासन द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा;

II. कोई भी अभ्यर्थी,जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

III. यदि अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है, जिसकी पत्नी पूर्व से जीवित हो;

IV. यदि अभ्यर्थी के पास छात्रावास अधीक्षक पद हेतु न्यूनतम निर्धारित अर्हता न हो।

V. कोई भी अभ्यर्थी जो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परंतु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसे मामले लंबित हों तो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

VI. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), में दिये गये प्रावधान 1961 समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निरर्हताएं अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी ।

VII. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों यदि जिनमें से एक का जन्मदिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो,जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म एक ही साथ (अर्थात जुड़वा,**Triplets** इत्यादि) होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा ।

11- अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बंध में शासन का विनिश्चय अंतिम होगा ।

12- आरक्षण -

1- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध छात्रावास अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिये लागू होंगे।

2- **(क)** मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम) 1994 क्रमांक 21 सन् 1994 के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमाक -एफ 6-1/2002/आ.प्र./एक ,दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश

के अनुसरण में,अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये जाएंगे।

यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके, तो शेष रिक्तियां बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति के किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा ।

(ख) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये निम्नानुसार आरक्षण रहेगा -:

(एक) बालिकाओं हेतु संचालित संस्थाएं, महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगी एवं बालक हेतु संचालित संस्थाएं पुरूष हेतु आरक्षित रहेंगी ।

(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिएनिम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	**श्रेणी**	**प्रतिशत**
1.	दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि	1.5
2.	श्रवण बाधित और कम सुनने वाले	1.5
3.	लोकोमोटरडिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है।	1.5
4.	बहुविकलांगता,उपरोक्तानुसार(1) (2) एवं (3) की नि:शक्तता सम्मिलित करते हुए । (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/ मेंडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा) दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-8-2/2013/अ.प्र/1 दिनांक 30/06/2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगो की श्रेणीवार होगा ।	1.5

	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण देय होगा	

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों/अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत;

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर(EWS) वर्ग के लिए 10प्रतिशत;

(पॉच) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05/06/2018 की कंडिका 1.4 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे;

(छ:) किसी ऐसे अन्य प्रवर्ग के लिये जो शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

13- चयन हेतु सामान्य उपबंध -

(1) इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रावधान के अतिरिक्त, छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार करने की सुसंगत प्रक्रिया शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(2) इन नियमों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम,1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाएकि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) चयन सूची जारी किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छ: माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

(5) चयनित अभ्यर्थी को दी गई पदस्थापना के सम्बंध में पदस्थापना परिवर्तन का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, दी गई पदस्थापना के सम्बंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

14- परिवीक्षा –

(अ) सहायक संचालक :-

सीधी भर्ती अंतर्गत नियुक्त किये गए व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष होगी एवं वेतन आदि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम/निर्देश अनुसार होंगे । परिवीक्षा अवधि विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये जाने पर समाप्त की जायेगी ।

(ब) छात्रावास अधीक्षक :-

सीधी भर्ती अंतर्गत नियुक्त किये गए प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा अवधि में संबंधित लोक सेवक को न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा। प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत न्यूनतम वेतन देय होगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत वेतनवृद्धि नियमानुसार प्रदाय की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में असफल होने परपरिवीक्षा अवधि 01 वर्ष के लिये नियुक्तिकर्ता प्रधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी, इसके उपरांत भी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी । सेवा समाप्त करने के पूर्व संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

15- छात्रावास अधीक्षकों को पूर्णकालिक (नॉन-वेकेशनल) कर्मचारियों की भॉति मध्यप्रदेश शासन के अवकाश नियम अनुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।

16- निर्वचन-:

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो वह शासन को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

17- शिथिलीकरण-:

इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है परंतु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये, कम अनुकूल हो ।

18- **व्यावृत्ति-:**

इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्यपिछडा वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची - एक

(नियम - 5)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान पे बैण्ड रूपये में	नियुक्तिकर्ता अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**अपर संचालक (छात्रावास)**	01	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (पे मेंट्रिक लेवल - 15 ग्रेडपे - 8700)	
2	**संयुक्त संचालक (छात्रावास)**	02	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (पे मेंट्रिक लेवल - 14 ग्रेडपे - 7600)	म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग
3	**संभागीय उप संचालक (छात्रावास)**	10	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (पे मेंट्रिक लेवल - 13 ग्रेडपे - 6600)	म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग

MPPLR

4	**सहायक संचालक (छात्रावास)**	20	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (पे मेंट्रिक लेवल - 12 ग्रेडपे - 5400)	म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग
5	**अतिरिक्त सहायक संचालक (छात्रावास)**	75 ((20X2)+35)	द्वितीय श्रेणी	42700-135100 (पे मेंट्रिक लेवल - 10 ग्रेडपे - 4200)	म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग
6	**महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक** (महाविद्यालयीन/ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र) (महाविद्यालयीन छात्रावास)	369 (357+12)	द्वितीय श्रेणी	36200-114800 (पे मेंट्रिक लेवल - 9 ग्रेडपे - 3600)	आयुक्त, जनजातीय कार्य
7	**सीनियर छात्रावास अधीक्षक** (कन्या शिक्षा परिसर/ क्रीड़ा परिसर / ज्ञानोदय विद्यालय/ सीएम राईज विद्यालय / सीनियर उत्कृष्ट	2736 (82+25+20+95+517+1988+8+1)	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (पे मेंट्रिक लेवल - 8 ग्रेडपे - 3200)	आयुक्त, जनजातीय कार्य

MPPLR

	छात्रावास / सीनियर छात्रावास/ आदर्श आवासीय विद्यालय/ विशिष्ट क्रीड़ा परिसर) (कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रावास)				
8	**जूनियर छात्रावास अधीक्षक** (जूनियर छात्रावास/ आश्रम शाला एवं क्र.4 एवं 5 में सहायक अधीक्षक) (कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रावास)	1965 (1078+670+11+82+8+95+20+1)	तृतीय श्रेणी	25300 - 80500 (पे मेंट्रिक लेवल – 6 – ग्रेडपे - 2400)	आयुक्त, जनजातीय कार्य
महायोग		**5178**			

MPPLR

अनुसूची - दो

(नियम 5,15 और 16)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 5.4(क)	पदोन्नति द्वारा नियम 5.4 (ख)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अपर संचालक **(छात्रावास)**	01	---	100 प्रतिशत
2	संयुक्त संचालक **(छात्रावास)**	02	---	100 प्रतिशत
3	संभागीय उप संचालक **(छात्रावास)**	10	---	100 प्रतिशत
4	सहायक संचालक **(छात्रावास)**	20	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
5	अतिरिक्त सहायक संचालक **(छात्रावास)**	75	---	100 प्रतिशत
6	**महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक** (महाविद्यालयीन/ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र) (महाविद्यालयीन छात्रावास)	369	MPPLR 50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7	**सीनियर छात्रावास अधीक्षक** (कन्या शिक्षा परिसर/ क्रीड़ा परिसर / ज्ञानोदय विद्यालय/ सीएम राईज	2736	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

MPPLR

	विद्यालय / सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास / सीनियर छात्रावास/ आदर्श आवासीय विद्यालय/ विशिष्ट क्रीड़ा परिसर) (कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रावास)			
8	**जूनियर छात्रावास अधीक्षक** (जूनियर छात्रावास/ आश्रम शाला एवं क्र.4 एवं 5 में सहायक अधीक्षक) (कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रावास)	1965	100 प्रतिशत	--

MPPLR

अनुसूची - तीन
(नियम 8)
सीधी भर्ती हेतु आयु तथा पात्रता

अनु क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	निर्धारित अतिरिक्त अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	**सहायक संचालक (छात्रावास)**	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण
2	**महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक** (महाविद्यालयीन/ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र) (महाविद्यालयीन छात्रावास)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण
3	**सीनियर छात्रावास अधीक्षक** (कन्या शिक्षा परिसर/ क्रीड़ा परिसर / ज्ञानोदय विद्यालय/ सीएम राईज विद्यालय / सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास / सीनियर	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण

	छात्रावास/ आदर्श आवासीय विद्यालय/ विशिष्ट क्रीड़ा परिसर) (कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रावास)				
4	**जूनियर छात्रावास अधीक्षक** (जूनियर छात्रावास/ आश्रम शाला एवं क्र.4 एवं 5 में सहायक अधीक्षक) (कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रावास)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण

MPPLR

अनुसूची - चार

(नियम 15 और 16)

पदोन्नति की प्रक्रिया

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	संयुक्त संचालक (छात्रावास)	अपर संचालक (छात्रावास)	5 वर्ष	1- अध्यक्ष म.प्र लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य – अध्यक्ष 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनजातीय कार्य- सदस्य 3- आयुक्त, जनजातीय कार्य - सदस्य	
2	उप संचालक (छात्रावास)	संयुक्त संचालक (छात्रावास)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष म.प्र लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,	

MPPLR

				जनजातीय कार्य-सदस्य 3. आयुक्त, जनजातीय कार्य -सदस्य	
3	सहायक संचालक (छात्रावास)	उप संचालक (छात्रावास)	5 वर्ष	1- अध्यक्ष म.प्र लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य – अध्यक्ष 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनजातीय कार्य-सदस्य 3- आयुक्त, जनजातीय कार्य -सदस्य	
4	अतिरिक्त सहायक संचालक **(छात्रावास)**	सहायक संचालक (छात्रावास)	5 वर्ष	1- अध्यक्ष म.प्र लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य – अध्यक्ष 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनजातीय कार्य-सदस्य	

MPPLR

				3- आयुक्त, जनजातीय कार्य - सदस्य	
5	**महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक**	अतिरिक्त सहायक संचालक **(छात्रावास)**	5 वर्ष	1- अध्यक्ष म.प्र लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य – अध्यक्ष 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जनजातीय कार्य-सदस्य 3- आयुक्त, जनजातीय कार्य -सदस्य	
6	**सीनियर छात्रावास अधीक्षक**	**महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक**	5 वर्ष	1- अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य- अध्यक्ष 2- अपर संचालक (छात्रावास) – सदस्य 3- संयुक्त संचालक (छात्रावास) – सदस्य	
7	**जूनियर छात्रावास अधीक्षक**	**सीनियर छात्रावास अधीक्षक**	5 वर्ष	1 अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य- अध्यक्ष	

MPPLR

				2 अपर संचालक (छात्रावास) – सदस्य 3 संयुक्त संचालक (छात्रावास) – सदस्य	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उप सचिव
म.प्र. शासन,जनजातीय कार्य विभाग

MPPLR

वेतनमान के अनुसार उपलब्ध एवं नवीन सृजित/अतिरिक्त सहायक अधीक्षक के पदों का एकजाई विवरण

क्र. (1)	पदनाम एवं वेतनमान रू. में (2)	अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	वर्तमान में स्वीकृत पद (6)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (7)	रिमार्क (8)
1	**संयुक्त संचालक** (प्रथम श्रेणी) 79900-211700 मेंट्रिक लेवल-14	0	0	0	0	1	मुख्यालय जनजातीय कार्य विभाग हेतु प्रस्तावित।
2	**उप संचालक** (प्रथम श्रेणी) 67300-206900 मेंट्रिक लेवल-13	0	0	0	0	10	संभागीय मुख्यालय जनजातीय कार्य विभाग हेतु प्रस्तावित।
3	**सहायक संचालक** (द्वितीय श्रेणी) 56100-177500 मेंट्रिक लेवल-12	0	0	0	0	75	आदिवासी 20 जिलों में 02 पद एवं गैर-आदिवासी 35 जिलों में 01 पद प्रस्तावित।
3	**छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1** 36200-114800 मेंट्रिक लेवल 9	202	185	387	382	5	नवीन स्वीकृत 05 PETC में पदों की स्वीकृति प्राप्त की जाना ।
4	**छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2** 32800-103600 मेंट्रिक लेवल 8	1285	1433	2718	2705	190	95 सीएम राइज़ विद्यालयों के 100 सीटर बालक/बालिका छात्रावासों में (01 बालक एवं 01 बालिका) कुल 190 पद स्वीकृति हेतु प्रस्तावित ।

MPPLR

5	**छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3** 25300-80500 मेंट्रिक लेवल 6	490	1298	1788	1799	31	छात्रावासों में दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के पद प्रस्तावित।
महायोग		**1977**	**2916**	**4893**	**4866**	**312**	-

नवीन सृजित किए जाने वाले पदों का विवरण

1. प्रशासनिक पद (86)

i.	संयुक्त संचालक	01	(मुख्यालय में)
ii.	उपसंचालक	10	(संभागीय मुख्यालय में
iii.	सहायक संचालक	75	(जिला मुख्यालय में) 20 आदिवासी जिलों में पद 02 35 गैर-आदिवासी जिलों में 01 पद

MPPLR

2. छात्रावास/आश्रम हेतु छात्रावास अधीक्षक पद (226)

i.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	**05**	(PETC हेतु)
ii.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	**190**	(प्रत्येक 95 सीएम राइज़ हेतु 02 पद)

iii.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	**31**	(दर्ज संख्या 150 से अधिक होने पर अतिरिक्त / सहायक अधीक्षक)

MPPLR

अनुसूचित जाति विकासविभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पदों का विवरण संस्थावार, स्वीकृत पद एवं नवीन सृजित/सहायक अधीक्षक

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
1	मुख्यालय, जनजातीय कार्य विभाग (प्रथम श्रेणी)	0	0	0	संयुक्त संचालक	0	1	-
2	संभागीय मुख्यालय (प्रथम श्रेणी)	0	0	0	उप संचालक	0	10	-
3	जिला मुख्यालय (द्वितीय श्रेणी)	0	0	0	सहायक संचालक	0	75	आदिवासी 20 जिलों में 02 पद एवं गैर-आदिवासी 35 जिलों में 01 पद
4	महाविद्यालयीन छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	190	167	357	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	357	0	-
5	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र छात्रावास	12	0	12	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	7	5	नवीन स्वीकृत 05 PETCमें पदों की स्वीकृति प्राप्त की जाना

MPPLR

6	आदर्श आवसीय विद्यालय	0	8	8	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	8	0	-
7	विशिष्ट क्रीड़ा परिसर (200 सीटर)	0	1	1	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	1	0	-

MPPLR

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
8	विशिष्ट क्रीड़ा परिसर (100 सीटर)	0	9	9	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	9	0	-
9	कन्या शिक्षा परिसर	0	82	82	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
10	कन्या शिक्षा परिसर				सहायक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
11	क्रीड़ा परिसर (100 सीटर)	0	16	16	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	16	0	-
12	ज्ञानोदय विद्यालय	20	0	20	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	20	0	-
13	सीनियर छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	958	1030	1988	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	1988	0	-
14	सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	307	210	517	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	517	0	-

MPPLR

15	सीएम राइज़ विद्यालय छात्रावास	0	95	95	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	0	190	सीएम राइज़ 100 सीटर छात्रावास में 01 बालक एवं 01 बालिका में कुल 190 पद स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।
क्र. (1)	**कार्यालय/ संस्था (2)**	**अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)**	**जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)**	**योग (5=3+4)**	**पदनाम (6)**	**वर्तमान में स्वीकृत पद (7)**	**नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)**	**रिमार्क (9)**
16	जूनियर छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	470	200	670	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	670	0	-
17	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8) (50 एवं 100 सीटर)	0	306	306	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	306	0	-
18	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8) (150 एवं 200 सीटर)	0	06	06	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	06	06	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 06 पद निर्मित किया जाना है।
19	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8)	0	02	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	02	02	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के

MPPLR

	(250 एवं 300 सीटर)							02 पद निर्मित किया जाना है।
20	आश्रम शाला (कक्षा 6 से 8) (50 एवं 100 सीटर)	0	75	75	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	75	0	-
21	आश्रम शाला (कक्षा 6 से 8) (150 एवं 200 सीटर)	0	02	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	02	02	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 02 पद निर्मित किया जाना है।

क्र. (1)	**कार्यालय/ संस्था** (2)	**अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं** (3)	**जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं** (4)	**योग** (5=3+4)	**पदनाम** (6)	**वर्तमान में स्वीकृत पद** (7)	**नवीन सृजित किए जाने वाले पद** (8)	**रिमार्क** (9)
22	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 5) (50 एवं 100 सीटर)	0	686	686	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	686	0	-
23	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 5) (150	0	01	01	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	01	01	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक का 01 पद

MPPLR

	एवं 200 सीटर)							निर्मित किया जाना है।
24	सीनियर छात्रावास) (100 से 200 सीटर)	0	11	11	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	11	11	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 11 पद निर्मित किया जाना है।
25	ज्ञानोदय विद्यालय	20	0	20	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	20	0	-
26	आदर्श आवासीय विद्यालय	0	8	8	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	0	8	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 08 पद निर्मित किया जाना है।
27	विशिष्ट क्रीड़ा परिसर (200 सीटर)	0	1	1	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	0	1	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक का 01 पद निर्मित किया जाना है।
महा योग	**1977**	**2916**	**4893**	**-**	**4866**	**312**	**-**	

MPPLR

संस्थावार छात्रावास अधीक्षक के पदों का विवरण
आवासीय संस्थाएँ, छात्रावास, आश्रम शाला
(स्वीकृत पद एवं नवीन सृजित/सहायक अधीक्षक)

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
A. आवासीय संस्थाएँ								
1	आदर्श आवासीय विद्यालय	0	8	8	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	8	0	-
2		0	8	8	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	0	8	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 08 पद निर्मित किया जाना है।
3	विशिष्ट क्रीड़ा परिसर (200 सीटर)	0	1	1	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	1	0	-
4		0	1	1	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	0	1	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक का 01 पद निर्मित किया जाना है।
5	विशिष्ट क्रीड़ा परिसर (100 सीटर)	0	9	9	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	9	0	-
6	क्रीड़ा परिसर (100 सीटर)	0	16	16	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	16	0	-

MPPLR

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
7	कन्या शिक्षा परिसर	0	82	82	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
8					सहायक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
9	ज्ञानोदय विद्यालय	20	0	20	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	20	0	-
10		20	0	20	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	20	0	-
11	सीएम राइज़ विद्यालय छात्रावास	0	95	95	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	0	190	सीएम राइज़ 100 सीटर छात्रावास में 01 बालक एवं 01 बालिका में कुल 190 पद स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।
कुल आवासीय संस्थाएँ		**40**	**220**	**260**		**238**	**199**	

MPPLR

B.छात्रावास

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
12	महाविद्यालयीन छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	190	167	357	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	357	0	-
13	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र छात्रावास	12	0	12	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1	7	5	नवीन स्वीकृत 05 PETCमें पदों की स्वीकृति प्राप्त की जाना
14	सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	307	210	517	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	517	0	-
15	सीनियर छात्रावास) (100 से 200 सीटर)	0	11	11	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	11	11	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 11 पद निर्मित किया जाना है।
16	सीनियर छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	958	1030	1988	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	1988	0	-
17	जूनियर छात्रावास (50 एवं 100 सीटर)	470	200	670	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	670	0	-

MPPLR

कुल छात्रावास		1937	1618	3555		3550	16	

C.आश्रम शाला

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
18	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8) (250 एवं 300 सीटर)	0	02	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	02	02	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 02 पद निर्मित किया जाना है।
19	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8) (150 एवं 200 सीटर)	0	06	06	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	06	06	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के 06 पद निर्मित किया जाना है।
20	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 8) (50 एवं 100 सीटर)	0	306	306	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	306	0	-
21	आश्रम शाला (कक्षा 6 से 8) (150 एवं 200 सीटर)	0	02	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	02	02	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक के

MPPLR

								02 पद निर्मित किया जाना है।
22	आश्रम शाला (कक्षा 6 से 8) (50 एवं 100 सीटर)	0	75	75	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	75	0	-
23	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 5) (150 एवं 200 सीटर)	0	01	01	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	01	01	दर्ज संख्या के अनुसार सहायक अधीक्षक का 01 पद निर्मित किया जाना है।
24	आश्रम शाला (कक्षा 1 से 5) (50 एवं 100 सीटर)	0	686	686	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-3	686	0	-
कुल आश्रम शाला		**0**	**1078**	**1078**		**1078**	**11**	
महायोग A+B+C		**1977**	**2916**	**4893**		**4866**	**226**	

MPPLR

क्र. (1)	कार्यालय/ संस्था (2)	अनुसूचित जाति विकासविभाग अंतर्गत संस्थाएं (3)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संस्थाएं (4)	योग (5=3+4)	पदनाम (6)	वर्तमान में स्वीकृत पद (7)	नवीन सृजित किए जाने वाले पद (8)	रिमार्क (9)
7	कन्या शिक्षा परिसर	0	82	82	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
8					सहायक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	82	0	-
9	ज्ञानोदय विद्यालय	20	0	20	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	20	0	-
10		20	0	20	सहायक अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड3-	20	0	-
11	सीएम राइज़ विद्यालय छात्रावास	0	95	95	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2	0	190	सीएम राइज़ 100 सीटर छात्रावास में 01 बालक एवं 01 बालिका में कुल 190 पद स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।

MPPLR